भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1091

उत्तर देने की तारीख 08.02.2021

खेलों में बालकों की भागीदारी

1091**. श्री प्रदीप कुमार चौधरी:**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(一) क्या विद्यालय और महाविद्यालय खेलों में भविष्य बनाने की चाह रखने वाले बालकों को उपर्युक्त/पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं;

(二)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(三) क्या सरकार के पास वर्तमान में खेलों में बालकों और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम है;

(四)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(五)क्या खेलों में बालकों और युवाओं में प्रशिक्षण देने के लिए देश में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(六)लोगों की खेल सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा, 2005 के अनुसार, कक्षा I से X तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय है। इस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शिक्षक गाइड के रूप में कक्षा VI, VII, और VIII के लिए और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) पर कक्षा IX की पाठ्यपुस्तकों के लिए सामग्री तैयार की है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा I-XII के छात्रों के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। सीबीएसई ने I-XII तक सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। बोर्ड ने प्रत्येक दिन कक्षा I-XII के लिए एचपीई का एक पीरियड रखने के लिए स्कूलों को निर्देश दिया है। इन कक्षाओं के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी रूचि और क्षमता के अनुसार न्यूनतम 2 खेल गतिविधियों में भाग लेना जरूरी है और इसे कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के पात्रता मानदंडों में शामिल किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संस्थानों में फिटनेस प्लान के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश छात्रों और स्टाफ के फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और व्यवहारों को अपनाने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित करते हैं। संकेतात्मक दिशानिर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, फिटनेस गतिविधियों के लिए न्यूनतम एक घंटा प्रति दिन तय करने का सुझाव दिया गया है। यूजीसी ने कुलीन खेलों में भाग लेने के लिए पर्याप्त खिलाडी तैयार करने के विचार से खेलों को बढ़ावा देने के लिए "खेल अवसंरचना एवं उपकरण का विकास" योजना के तहत पात्र कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

(ग) और (घ) खेल विभाग के साथ समन्वय करके स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, छात्रों के दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए स्कूलों में 'फिट इंडिया मूवमेंट-फिट इंडिया स्कूल 'पर गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, सरकार एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है, ताकि फिट इंडिया जनता का आंदोलन बन जाए। फिट इंडिया अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाने वाला एक जन केंद्रित आंदोलन है। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं और छात्रों सहित सभी नागरिकों के बीच खेल, योगासन, पैदल चलना, साइकिल चलाना, नृत्य या किसी अन्य शारीरिक गतिविधि के बारे में फिटनेस और दैनिक जीवन में इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

(ङ) और (च) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को समझते हुए, खेल और शारीरिक शिक्षा घटक को खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठयक्रम गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार शुरू किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में खेल उपकरण के लिए प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000रु, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रु और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रु की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय ने खेल अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सरकारी स्कूलों के लिए आयु-अनुकूल खेल उपकरणों की एक सांकेतिक सूची शामिल है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पारंपरिक / क्षेत्रीय खेलों को शामिल करने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करें। प्रत्येक स्कूल में एक जिम्मेदार व्यक्ति / शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) / शिक्षक प्रभारी को खेल उपकरणों की देखभाल और उनके स्टॉक की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस विभाग ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में खेल विभाग के पास उपलब्ध खेल-सुविधाओं का नि:शुल्क लाभ उठाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें।

सीबीएसई के संबद्ध उपनियमों के अनुसार, सभी स्कूलों में खेल के मैदान, छात्रों के लिए अन्य खेल सुविधाएं और प्रत्येक स्तर पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक अर्थात पीआरटी (शारीरिक शिक्षा), टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) और पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) की भर्ती अनिवार्य है। बोर्ड भौतिक निरीक्षण के माध्यम से भी इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

खेल विभाग के तहत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले अभिजात वर्ग के एथलीटों को भारतीय / विदेशी कोचों और सहायक कर्मचारियों की सेवाओं के साथ-साथ व्यक्ति / टीम की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानक के अत्याधुनिक खेल उपकरण और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। एसएआई मुख्यालय खिलाड़ियों और राष्ट्रीय कैंपर्स के प्रशिक्षण के लिए देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद / वस्तुएं प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा अनुशंसित विनिर्देशों के अनुसार बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम खेल सामग्री / वस्तुओं की खरीद पर विशेष जोर दिया जाता है। खेल के सामान / वस्तुओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और अभिजात्य खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेल महासंघों से प्राप्त मांग के अनुसार खरीदा जाता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) के तहत को खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को उनकी पसंद के अनुसार आधुनिक खेल उपकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता की योजना के तहत, चिन्हित होनहार एथलीटों/ टीमों को, विदेशों में उनके प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अतिरिक्त, पौष्टिक आहार, भोजन की खुराक, उपकरण, अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, आवास, यात्रा की सुविधाएँ, प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी कोच / सहायक स्टाफ की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि सहित राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

******